

भाग-III**हरियाणा सरकार**

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 जून, 2024

संख्या का०आ० 26/ह०अ०11/1994/धा० 209/2024.— हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 209 की उप धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, इसके द्वारा, उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार नियमों के निम्नलिखित प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों के साथ, यदि कोई हो, जो आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 में, नियम 12क, के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“12क. गली, पटरी और नाली को खोदने, परिवर्तित करने अथवा क्षतिग्रस्त करने की अनुमति देना।
धारा 24(3).— (1) यदि सम्बन्धित गांव के ग्रामवासियों द्वारा आबादी क्षेत्र के भीतर पहले से बिछाई गई पाइपलाइन से कनेक्शन जोड़ने के प्रयोजन के लिए गली, पटरी या नाली को खोदना, परिवर्तित करना या क्षतिग्रस्त करना आवश्यक है, तो अनुमति चाहने वाला व्यक्ति जब तक उप-मण्डल अधिकारी (पंचायती राज) द्वारा तैयार किए गए अनुमान के अनुसार सम्बन्धित ग्राम के माध्यम से पुनः स्थापन प्रभार पंचायत के खाते में बैंक अन्तरण/बैंक ड्राफ्ट, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जमा नहीं करवाता है, तब तक ग्राम पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायत सुनिश्चित करेगी कि पटरी/गली/नाली, यथाशीघ्र सम्भव, किन्तु आवेदक द्वारा कार्य सम्पूर्ण करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के अपश्चात्, उसकी मूल स्थिति में पुनः स्थापित कर दी गई है।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा उपयोगिता अवसंरचना बिछाने के प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत के स्वामित्वाधीन गली/रास्ते/नाली/पटरी को खोदना, परिवर्तित करना, क्षतिग्रस्त करना या उपयोग करना आवश्यक है, तो आवेदक इस निमित्त ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करेगा। ग्राम पंचायत संकल्प पारित करते हुए आवेदन पर विचार करेगी और पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर प्रस्ताव सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) को अग्रेषित करेगी।

(3) सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता वाली और (i) जिला नगर योजनाकार या उसका प्रतिनिधि, जो सहायक नगर योजनाकार से नीचे की पदवी का न हो, (ii) सम्बन्धित खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, (iii) उप-मण्डल अधिकारी (पंचायती राज) से मिलकर बनने वाली समिति, ऐसे आवेदन पर विचार करेगी और आवेदन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सम्बन्धित उपायुक्त को अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिश करेगी।

(4) सम्बन्धित उपायुक्त आवेदन की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर अन्तिम निर्णय लेगा। वह अनुमति प्रदान करने से इनकार कर सकता है यदि उसकी राय में अनुमति प्रदान करना लोक हित में नहीं है।

(5) सम्बन्धित उपायुक्त, या तो स्वप्ररेणा से या किसी ग्राम पंचायत या गांव के किसी निवासी या खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा उसे किए गए आवेदन पर, किसी अनुमोदन की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपनी संतुष्टि करने के प्रयोजन के लिए रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है। यदि ऐसा आवेदन ग्रामवासियों के हितों के लिए अहितकर पाया जाता है और आगे लोकहित में आवश्यक नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच, जैसा वह उचित समझे, करने के उपरान्त, उसे रद्द कर सकता है। ग्राम पंचायत अवसंरचना और उस पर निर्माण, यदि कोई हो, को हटाने के लिए सक्षम होगी, जिसके लिए कोई भी प्रतिकर भुगतानयोग्य नहीं होगा।

(6) सम्बन्धित उपायुक्त के अनुमोदन के बाद, आवेदक, उपयोगिता अवसंरचना बिछाने के लिए उपयोग की गई भूमि की कलक्टर दर के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि की दर पर एकमुश्त अग्रिम भूमि उपयोग प्रभारों के अलावा, प्रयोजन के लिए उपयोग की गई भूमि की कलक्टर दर के 0.5 प्रतिशत के बराबर की राशि की दर पर वार्षिक प्रभार जमा करवाएगा, जिसकी गणना प्रति वर्ग गज आधार पर की जाएगी। उपायुक्ता प्रभार, बैंक लिखतों अर्थात् मांग

ड्राफ्ट/रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट इत्यादि के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खाते में अग्रिम में आवेदक द्वारा भुगतानयोग्य होंगे। इसके अतिरिक्त, आवेदक को सम्बन्धित उप-मण्डल अधिकारी (पंचायती राज) द्वारा तैयार किए गए अनुमोदन के अनुसार मांग ड्राफ्ट/रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से ग्राम पंचायत के पास अग्रिम में पुनः स्थापन प्रभार भी जमा करवाने होंगे।

(7) आवेदक, उप-मण्डल अधिकारी (पंचायती राज) द्वारा यथा विवेचित/अनुमोदित अनुसार पर्याप्त मात्रा में मैन्होलों की व्यवस्था करते हुए भूमि की ऊपरी सतह से कम से कम एक मीटर नीचे उपयोगिता अवसंरचना बिछवाएगा। आवेदक सतही भार के कारण किसी संभावित नुकसान से उसे बचाने के लिए उपयोगिता पाइपलाइन/केबल के ऊपरी भाग पर पर्याप्त प्रतिरोधक की भी व्यवस्था करेगा। आवेदक को दोष के दायित्व का भी वचन देना होगा और यदि इस अवधि के दौरान सतह को कोई नुकसान पहुंचता है, तो आवेदक अपनी लागत पर ऐसे दोषों को सुधारने के लिए भी दायी होगा:

परन्तु यदि उपयोगिता अवसंरचना, अनुज्ञप्तिप्राप्त कालोनियों या सरकारी अभिकरणों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में बिछाई जानी आवश्यक है, तो इसे सम्बन्धित सरकारी अभिकरण द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार बिछाया जाएगा।

(8) यदि कार्य निष्पादन के दौरान रास्ता अनुपयोगी हो जाता है, तो आवेदक ऐसी अवधि के दौरान वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने के लिए भी जिम्मेवार होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जनसाधारण को कोई असुविधा नहीं हो रही है।

(9) यदि शहरी गैस वितरण अवसंरचना या संचार और संयोजकता अवसंरचना स्थापित करने की आवश्यकता है, तो उद्योग और वाणिज्य विभाग या नागरिक संसाधन सूचना विभाग, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अधिसूचित नीतियों के अनुसार प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें और फीस/प्रभार इत्यादि लागू होंगे।”।

अमित कुमार अग्रवाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 13th June, 2024

No. S.O. 26/H.A.11/1994/S.209/2024.— The following draft of rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Rules, 2024.
2. In the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995, for rule 12A, the following rule shall be substituted, namely:-

“12-A. Grant of permission to dig, alter or damage a street pavement or drain, section 24(3).- (1)

In case a street or drain is required to be dug, altered or damaged by the inhabitants of the concerned village for the purpose of having connection from the already laid down pipeline within the abadi area, the permission shall not be granted by the Gram Panchayat unless the person seeking permission has deposited the restoration charges as per the estimates prepared by the Sub-Divisional-Officer (Panchayati Raj) through Bank Transfer/Demand Draft, as the case may be, to the account of the concerned Gram Panchayat. The Gram Panchayat shall ensure that the pavement/street/drain is restored to its original condition, as soon as possible, but not later than a period of thirty days from the date of completion of the work by the applicant.

(2) In case the street/passage/drain/pavement owned by the Gram Panchayat is required to be dug, altered, damaged or utilized by any person for the purpose of laying down utility infrastructure, the applicant shall submit an application to the Gram Panchayat in this behalf. The Gram Panchayat shall consider the application by passing a resolution and forward the proposal to the concerned Sub-Divisional Officer (Civil) through the concerned Block Development and Panchayat officer, within a period of fifteen days.

(3) A committee headed by the concerned Sub-Divisional Officer (Civil) and comprising of (i) the District Town Planner or his representative not below the rank of Assistant Town Planner, (ii) the concerned Block Development and Panchayat officer, (iii) Sub-Divisional Officer (Panchayati Raj), shall consider such application and make its recommendation to the Deputy Commissioner concerned for approval within a period of thirty days from the date of the application.

(4) The Deputy Commissioner concerned shall take a final decision within a period of forty-five days from the date of the application. He may refuse to grant the permission if he is of the opinion that such permission is not in public interest.

(5) The Deputy Commissioner concerned may, either *suomotu* or on application made to him by a Gram Panchayat or an inhabitant of the village or the Block Development and Panchayat Officer, examine the record for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any approval. If such approval is found detrimental to the interest of the villagers and is no longer required in public interest, the competent authority may, after making such enquiry, as it may deem fit, cancel the same. The Gram Panchayat shall be competent to remove the infrastructure and the constructions thereon, if any, for which no compensation shall be payable.

(6) After approval of the Deputy Commissioner concerned, the applicant shall deposit besides the one time upfront land use charges @ an amount equal to 5% of the Collector rate of the land used for laying the utility infrastructure, annual charges @ of an amount equal to 0.5% of the Collector rate of the land used for the purpose, which shall be worked out on per square yard basis. The user charges shall be payable by the applicant in advance in the account of the concerned Gram Panchayat through Bank Instruments i.e. Demand Draft/Real Time Gross Settlement etc. In addition, the applicant shall have to deposit the restoration charges in advance with the Gram Panchayat by way of Demand Draft/Real Time Gross Settlement/National Electronics Funds Transfer as per the estimates prepared by the concerned Sub-Divisional Officer (Panchayati Raj).

(7) The applicant shall have to lay the utility infrastructure at least one meter below the surface of the ground with provision for sufficient number of man-holes, as advised/approved by the Sub-Divisional-Officer (Panchayati Raj). The applicant shall also provide adequate buffer at the top of the utility pipeline/cable to save the same from any possible damage on account of surface loads. The applicant shall have to undertake a defect liability and if any damage is caused to the surface during this period, the applicant shall be liable to rectify the defects at his cost:

Provided that in case the utility infrastructure is required to be laid in licensed colonies or projects approved by the Government agencies, the same shall be laid as per the plans approved by the respective Government agency.

(8) In case the passage becomes unusable during the course of execution of works, the applicant shall be responsible to provide an alternate passage during such period so as to ensure that no inconvenience is caused to the public.

(9) In case city gas distribution infrastructure or the communication and connectivity infrastructure is required to be laid, the procedure, terms, conditions and fee/charges etc. shall be applicable as per policies notified by the Industries and Commerce Department or the Citizen Resources Information Department, as the case may be.”.

AMIT KUMAR AGRAWAL,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.